झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा– 2016

आवश्यक सूचना

संख्या :–**6928** राँची, दिनांक–**23.11.2020.**

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा **रामगढ़** जिला के **इतिहास एवं नागरिक शास्त्र** विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीद्वारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 21/2016 प्रकाशित करते हुए दिनांक–06.02.2017 से 25.04.2017 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे जिनमें वैध पाये गये अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक– 29.10.2017, 12. 11.2017, 19.11.2017, 25.11.2017, 26.11.2017 तथा 02.12.2017 को ली गई। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक 03.01.2019 से 23.01.2019 तक को किया गया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक–09.02.2019 को पुनः आमंत्रित किया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्त्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्त्तें संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्त्तें उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्त्तें विवरणिका की कंडिका 8 में अंकित करते हुए विवरणिका की कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि **"आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन** Submit **करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन** Submit **करें। एक बार आवेदन** Submit **करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।**

(i) ऑनलाईन आवेदन में क्षैतिज आरक्षण तथा अनूसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना अनिवार्यतः आवश्यक होगा। दिनांक 02.06.2016 के पश्चात निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विहित प्रपत्र परिशिष्ट– III **में है।**

(ii) अनूसूचित जिलों तथा अन्य जिलों में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना आवश्यक होगा।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।"

3. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है।

4. पात्रता/आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्त्तें निम्नवत् निर्धारित है :–

क) आरक्षणः– यथा विवरणिका की कंडिका– 8 में निहित

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला आरक्षण तथा निःशक्तता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनारक्षित वर्ग की महिला तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(IV) अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र}** में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए विहत –प्रपत्र **(परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) स्थानीय निवास प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं यह प्रमाण पत्र 02.06.2016 के पश्चात निर्गत होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।
प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।

ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 4 में अंकित है जो निम्नवत् हैः–

क्रम सं॰	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	**निम्नांकित विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक–** इतिहास/नागरिक शास्त्र	वेतन बैंड पी॰बी॰ III – रू॰ 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू॰ 4600	इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक किन्तु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक किन्तु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।

(i)(क) स्नातक डिग्री राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।

(ख) इतिहास, इतिहास (अंश) एवं इतिहास विषय की समकक्षता के बिन्दु पर दिनांक–20.09.2019 को WP(S) No-4079/2018 Santosh Kumar yadav and ors vs The state of Jharkhand वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

31. It is however made clear that the candidates who have obtained Degree exclusively in the subject **"History"** as per the advertisement, are entitiled for consideration for appointment to the aforesaid posts, subject to fulfillment of other criteria and requisite position in the merit list and if there is no other legal impediments.

अतः विज्ञापन एवं उक्त न्यायादेश के अनुरूप **इतिहास** विषय को ही मान्य किया गया है।

(ग) दिनांक–21.09.2020 को WPS(S) NO. 1387/17, Sony Kumari vs State of Jharkhand वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया है। न्यायादेश में अधिसूचना संख्या–5938 एवं 5939 को रद्द किया गया है एवं कहा गया है कि परीक्षाफल प्रकाशन में कोई रोक नही है। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

66. **We also propose to make it abundantly clear that by the ad-interm order dated 18.09.2019 passed by this Court in these writ applications, the selection process was never stayed by the Court in the non-scheduled districts, though, as informed to us, it had erroneously been taken by the State Government like that. There was no stay for appointment on any post in the non-scheduled districts, or for that matter there was not stay for the appointment even in scheduled districts, rather, only the operation of the Notification No. 5938 dated 14-07-2016 was stayed by this Court. In other words, the appointments could be continued to be made even in the scheduled districts, ignoring the aforesaid notification**.

. न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में गैर–अनुसूचित जिलो के लम्बित परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सकता है। उक्त वाद के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP No.-12490/2020, सत्यजीत कुमार व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य विचाराधीन है जिसके अंतिम निर्णय से उक्त परीक्षाफल प्रभावित होंगें।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–(NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अस्तित्व में आने की तिथि–17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।

(iii) वैसे आवेदक जिन्होंने ग्रेड पद्धति/क्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षा में उर्त्तीणता प्राप्त किया है वे निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड/क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत हो आवेदन देने के योग्य होंगे। समतुल्यता के संबंध में अंतिम निर्णय आयोग का होगा।

(iv) **शैक्षणिक योग्यता (स्नातक उर्त्तीण) के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित**

स्नातक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा वांछित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(v) **वैसे अभ्यर्थी, जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा बी0एड0 के लिए समकक्ष डिग्री हेतु प्रशिक्षण पुरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं भी आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के पूर्व यथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।**

ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की विवरणिका की कंडिका 6 में अकितः–

न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2016 के संदर्भ में की जायेगी :–

(क) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम आयु सीमा :–

क्रम संख्या	वर्ग	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए
1.	अनारक्षित/सामान्य–	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला { अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) }	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

सभी वर्ग के (प्रारम्भिक विद्यालयो के शिक्षक सहित) निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पर्षद से निर्गत होना चाहिए। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–V) में मान्य होगा।

घ) सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वांछित अनुभव विवरणिका की कंडिका–5 (iv) में अंकित है जो निम्नवत् हैः–

(iv) **झारखण्ड राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्होने न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें अन्य आवश्यक अर्हता प्राप्त हैं, वे कर्णांकित पदो (25 प्रतिशत रिक्ति) पर आवेदन देने के पात्र होंगे।**

दिनांक– 04.09.2018 को प्रकाशित 'आवश्यक सूचना' के माध्यम से संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य) के आलोक में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम हेतु के क्रम में झारखण्ड सरकार के प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रकाशित किया गया है

5. उपर्युक्त शर्त्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित हैः–

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक / नाम / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
इतिहास एवं नागरिक (सीधी भर्ती)				
1	**28137247460 RAKESH RAI 02-Jul-78**	दिनांक–18.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture and Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक–1279, दिनांक–18.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक–18.01.2019 को अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History, Culture and Archaeology विषय को इतिहास के तुल्य एवं अविभाज्य भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	**28112233707 ALOK KUMAR 19-Sep-85**	दिनांक–18.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक–1282, दिनांक–18.01. 2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक–24.01.2019 को अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के तुल्य एवं अविभाज्य भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	**28140248448 SUBHASH YADAV 01-Jan-86**	दिनांक–18.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक–1288, दिनांक–18.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक–18.01.2019 को अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है जिसमें प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के तुल्य एवं अविभाज्य भाग प्रमाणित किया गया है।लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

4	**28160258528** **PUNAM KUMARI** **29-Dec-86**	अभ्यर्थी को दिनांक–03.01.2019 से दिनांक–23.01.2019 तक प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक–14.12.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक–09.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक–31.01.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	**27118231944** **SANTOSH KUMAR PATHAK** **20-Feb-84**	दिनांक–18.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक–1237, दिनांक–18.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
6	**28119237284** **ALOK RANJAN** **18-Dec-86**	दिनांक–18.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक–5759, दिनांक–04.10.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–11.10.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक–11.10.2019 को निर्गत डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जिसमें अंकित है कि अवध विश्वविद्यालय–आयोध्या प्रथम परिनियमावली में कला संकाय के अन्तर्गत परिनियम 7.06(7) में प्रचीन इतिहास, 7.06(15) मे मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास तथा 7.06(18) में इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व उल्लेख है। लेकिन अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत स्नातक प्रमाण पत्र में उनका विषय इतिहास के स्थान पर प्राचीन इतिहास अंकित है।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

7	**28114234383** **SUNIL KUMAR SINGH** **05-Aug-83**	दिनांक–18.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा नागरिक शास्त्र विषय के स्थान पर IGNOU से EPS-12 (Government and Politics in India) विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक–1287, दिनांक–18.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक–23.01.2019 को अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर पर EPS-12 विषय को राजनीति शास्त्र के तुल्य एवं अविभाज्य भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
8	**28182268140** **NARENDRA NARAYAN PANDEY** **05-Aug-89**	अभ्यर्थी को दिनांक–03.01.2019 से दिनांक–23.01.2019 तक प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक–14.12.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक–09.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक–31.01.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
9	**28154255474** **KAVITA KUMARI** **15-May-85**	दिनांक–03.01.2019 से दिनांक–23.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से पिता के आधार पर निर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 कोटि का जाति प्रमाण पत्र संख्या–2070, दिनांक–09.05.2013 समर्पित किया गया जिसमें क्रिमी लेयर का उल्लेख नहीं है। आयोग द्वारा पत्रांक–1231, दिनांक–18.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक–25.01.2019 को अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 कोटि का जाति प्रमाण पत्रांक–121619, दिनांक–28.01.2019 समर्पित किया गया है जो आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि–25.04.2017 के बाद की तिथि का है।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका–4(क)(v) के शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

10	**28164259875 SHAMSHER ALI 27-Oct-83**	दिनांक–03.01.2019 से दिनांक–23.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 कोटि का जाति प्रमाण पत्र संख्या–269107, दिनांक–23.03.2017 समर्पित किया गया। आयोग द्वारा पत्रांक–1361, दिनांक–18.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक–18.01.2019 को अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 कोटि का जाति प्रमाण पत्र संख्या–882435, दिनांक–07.08.2017 समर्पित किया गया है। जो आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि–25.04.2017 के बाद की तिथि का है।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका–4(क)(v) के शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
11	**28132243500 RAJENDRA BEDIYA 17-Feb-88**	दिनांक–18.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर IGNOU से EHI-1(Modern India) विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक–5758, दिनांक–04.10.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–11.10.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
12	**28137246273 SONI KUMARI 22-Dec-83**	दिनांक–03.01.2019 से दिनांक–23.01.2019 को प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अनुसूचित जनजाति कोटि का जाति प्रमाण पत्र संख्या–86746, दिनांक–10.02.2017 समर्पित किया गया। आयोग द्वारा पत्रांक–1226, दिनांक–18.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक–25.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में विहित तिथि के बाद दिनांक–15.10.2019 को दिनांक–22.01.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–92117 समर्पित किया गया। विदित हो कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि–25.04.2017 थी।	आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका–4(क)(v) के शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (कार्यरत शिक्षक)				
1	**28180266631 PARESH MAHTO 14-Jan-70**	अभ्यर्थी को दिनांक–03.01.2019 से दिनांक–23.01.2019 तक प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक–14.12.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक–09.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक–31.01.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		उपर्युक्त कंडिका 4(ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्त्ता के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

ह0/–

परीक्षा नियंत्रक।